



S. No. 20

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय
महाप्रबंधक (कार्मिक)

पी.एस.सं.-10/2021

नोट

विषय: पारस्परिक स्थानांतरण से सम्बंधित लोकल पॉलिसी के संबंध में।

संदर्भ: सकाधि/स्टाफ का पत्रांक सं. MCF/RBL/Estt./Transfer Policy
दिनांक 19.02.2021 (पत्र संलग्न)।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराया जाता है कि पारस्परिक स्थानांतरण के मामले पर PCPO महोदय के अनुमोदनानुसार लोकल पॉलिसी बनाई गई है, जो आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नवत् है:-

1. कर्मचारी जिन्होंने अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन के साथ एक स्वयं घोषणा पत्र (Under Taking) ले लिया जाय कि यदि वह स्थानांतरण का आवेदन करता है और उसी दौरान उसकी पदोन्नति हो रही है तो कर्मचारी को विकल्प लेना हो कि वह पारस्परिक स्थानांतरण चाहता है या पदोन्नति ताकि जिस लेवल में उसने पारस्परिक स्थानांतरण माँगा है उसी लेवल हेतु उसे कार्यमुक्त किया जा सकें।
2. यदि कर्मचारी पदोन्नति उपरान्त उच्च पद पर पदोन्नति का विकल्प देता है एवं पदभार ग्रहण करता है तो अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन स्वतः ही रद्द माना जायेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

पत्र सं.-ई/एम.सी.एफ/आर.बी.एल/पॉलिसी
दिनांक 23.02.2021.

सहायक कार्मिक अधिकारी/मुख्या.
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

०१८

प्रतिलिपि:

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उप. विभागाध्यक्ष आरेडिका/रायबरेली।
2. समस्त वरिकाधि, सकाधि आरेडिका/रायबरेली।
3. प्रभारी/अराज.-। एवं ।। कार्मिक शाखा।

MCF/RBL
कार्मिक शाखा
प्राप्ति दिनांक 23/02/21



आरेडिका / रायबरेली

आयुक्त रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

नोट

विषय:-पारस्परिक स्थानांतरण के लिए Local Policy जारी करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में इस पत्र के संलग्नक (एन. पी.-02) के निर्देशानुसार पारस्परिक स्थानांतरण के लिए Local Policy जारी करने के लिए PCPO महोदय से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

अतः पारस्परिक स्थानांतरण के मामले पर Local Policy सर्वसम्बंधित को सूचनार्थ महोदय के अनुमोदनानुसार जारी करें।


सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टॉफ
कृते महाप्रबन्धक (कार्मिक) 19-02-21

सं. MCF/RBL/Estt./Transfer Policy.
दिनांक: 19.02.2021

प्रतिलिपि:- सहायक कार्मिक अधिकारी/मुख्य, आरेडिका/रायबरेली

संलग्नक: यथोक्त

01. प्रायः कृष्ण कर्मचारी आपसी स्थानांतरण एवं स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हैं और उनका आवेदन अग्रपिप्त होने के पश्चात् उनका पदोन्नति भी हो जाता है। ऐसे ही कर्मचारी लेवल -5 में कार्यरत हैं और दोनों ने आपसी स्थानांतरण के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन अग्रपिप्त भी कर दिया गया है। उसी दौरान एक कर्मचारी की पदोन्नति लेवल-6 में हो जाती है।
02. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)I-2018/TR/8, दिनांक 26.10.2018 के द्वारा कर्मचारियों के बीच दो अलग-अलग ग्रेडों में म्यूचुअल ट्रांसफर केवल कैंडिड के भर्ती ग्रेड में किया जा सकता है।
03. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)I-2006/TR/6, दिनांक 21.04.2006 (RBE No. 53/2006) के द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन किसी भी परिस्थिति में बैकट्रैकिंग नहीं किया जा सकता है।
04. उपरोक्त रेलवे बोर्ड के नियमानुसार पदोन्नत हुए कर्मचारी को उनके वर्तमान वेतन लेवल में कार्यमुक्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चूंकि नयी फौवट्री होने के कारण पदोन्नति भी जल्दी (निर्धारित समय) पर हो रही है।

यदि सहमति हो तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए Policy अनुभाग से निम्न प्रकार की Local Policy जारी कि जा सकती है:-

- ⇒ कर्मचारी जिन्होंने अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन के साथ एक स्वयं घोषणा पत्र (Under Taking) ले लिया जाय कि यदि वह स्थानांतरण का आवेदन करता है और उसी दौरान उसकी पदोन्नति हो रही है तो कर्मचारी को विकल्प लेना होगा कि वह पारस्परिक स्थानांतरण चाहता है या पदोन्नति ताकि जिस लेवल में उसने पारस्परिक स्थानांतरण माँगा है उसी लेवल हेतु उसे कार्यमुक्त किया जा सके।
- ⇒ यदि कर्मचारी पदोन्नति उपरान्त उच्च पद पर ^{पदोन्नति का पद आवेदन है।} पदभार ग्रहण करता है तो अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन स्वतः ही रद्द माना जायेगा।

उपरोक्त के अवलोकन उपरान्त यदि आप सहमत है तो PCPO महोदय से अनुमोदन हेतु आग्रह किया जा सकता है।

अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत हैं।

For approval on A above please.

[Signature]
सकाधि/स्टाफ

Dy. CPO

[Signature]
05.02.21

PCPO

approved
[Signature]
15.02.21

[Signature]

[Signature]
15.2.21

APO/Staff

[Signature]
15.02.21

